



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-294

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 255069 दिनांक 25/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Urmila Meena W/o Ashwani Kumar Meena	श्री अजीत सिंह पुत्र श्री स्व. श्री रामसिंह	GH2	5013.61 SQ. METER	Private	GOVIND VIHAR	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की योजना गोविन्द विहार के भूखण्ड संख्या जीएच-2 क्षेत्रफल 5013.61 व.मी. की लीजडीड दिनांक 12.07.2018 को श्री अजीत सिंह पुत्र श्री स्व. श्री रामसिंह को जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 5013.61 व.मी. में से 1839.74 व.मी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 27.06.2019 को श्री अजीत सिंह पुत्र श्री स्व. श्री रामसिंह के द्वारा श्रीमती उर्मिला मीना पत्नि श्री अश्वनी कुमार को कर दिया गया। आवेदिका द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या जीएच-2-बी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उत्तरी हिस्सा
क्षेत्रफल 1839.74
व.मी. का उप
विभाजन हेतु
आवेदन किया
गया है। उक्त
भूखण्ड की मूल
पत्रावली जोन
कार्यालय के
अनुसार उपलब्ध
नहीं हो पा रही है,
जिसकी तलाश
जारी है।
सीपीआरएमस के
रिकॉर्ड अनुसार
उक्त भूखण्ड श्री
अजीत सिंह पुत्र
श्री स्व. श्री
रामसिंह के नाम
दर्ज है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Urmila Meena W/o Ashwani Kumar Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिर्याँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

